डाक-व्यय की पूर्व अदायगी के बिना डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत. अनुमति-पत्र क्र. रायपुर-सी.जी.

पंजीयन क्रमांक रायपुर डिवीजन



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 12 ख] रायपुर, सोमवार, दिनांक 15 जनवरी 2001—पौष 25, शक 1922

वित्त विभाग

मंत्रालय, डी. के. एस. भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 15 जनवरी 2001

आदेश

क्रमांक 17/B-2/वित्त 2001.—राज्य शासन एतद्द्वारा म. प्र. बुक आफ फाइनेंशियल पावर्स 1995 के भाग-1, सेक्शन-1, सरल क्रमांक 3 में दिये गये प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए संचालक, अल्प बचत एवं राज्य लाटरीज के संयुक्त संचालक, अल्प बचत एवम् राज्य लाटरीज को कार्यालय प्रमुख घोषित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अमृता बैक, अवर सचिव.

रायपुर, दिनांक 15 जनवरी 2001

आदेश

क्रमांक 19/B-2/वित्त 2001.—राज्य शासन एतद्द्वारा बुक आफ फाइनेंशियल पावर 1995 के सेक्शन-1 के सरल क्रमांक 3 एवं

5 में दिये गये प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए संचालक, अल्प बचत एवं राज्य लाटरीज, छत्तीसगढ़, रायपुर को विभागाध्यक्ष तथा आहरण एवम् संवितरण अधिकारी घोषित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अमृता बैक, अवर सचिव.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2001.